

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चितौड़गढ़**  
**पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0र0परस0)**

प्रकरण संख्या— 33 / 2022

दापर दिनांक— 02.05.2022

निर्णय दिनांक— 24.05.2022

उनवाचन



1. पुष्पा पत्नी शैरूलाल रेगर निवासी बुल का खेडा।
2. केशर पत्नी रामलाल कुम्हार निवासी बुल का खेडा।
3. भागु पत्नी रतनलाल कुम्हार निवासी बुल का खेडा।
4. रतन लाल पिता हजारी कुम्हार निवासी बुल का खेडा।
5. रामलाल पिता हजारी कुम्हार निवासी बुल का खेडा

प्रार्थनागण

बनाम

1. उदय लाल पिता हरलाल गुर्जर निवासी बुल का खेडा।
2. कान सिंह पिता जैसिंह राजपुत निवासी बुल ।

अप्रार्थनागण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पथरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थनागण हाजिर नहीं। बार-बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थनागण की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस कारण अप्रार्थनागण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार जाकर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पथरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर है। आदेशित किया जाता है कि मौजा बूल पटवार इल्का बूल तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 213 रकबा 0.23 है, आ.सं. 214 रकबा 0.84 है, आ0सं0 215 रकबा 0.80 है, आ0सं0 216 रकबा 0.50 है, कुल किता 4 कुल रकबा 2.37 है, भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पथरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पथरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विद्यारथीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहसीर जारी हो। पत्रावली फैंसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(भावना सिंह)

सहायक कलेक्टर व

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जिला-चितौड़गढ़ (राज.)